न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/60 दायरा दिनांक : 07.06.2023

उनवान

बापूलाल आत्मज चन्दन, जाति ब्राहमण निवासी रोझाना तह0 गंगधार जिला झालवाड़ (मृतक) जरिये कायम मुकामान– तेजू लाल पुत्र बापूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोझाना तह0 गंगधार जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1 मांगीलाल आत्मज खीमा उर्फ खेमराज, जाति ब्राहमण, निवासी रोझाना (मृतक) जरिये कायममुकाम–

1/1 राधेश्याम पुत्र मांगीलाल

1/2 रमेश पुत्र मांगीलाल

1/3 सीता बाई पुत्री मांगीलाल

1/4 रामू बाई पुत्री मांगीलाल अकवाम जाति ब्राहमण निवासी रोझाना तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0

2. गंगा बाई पुत्री खीमा उर्फ खेमराज, जाति ब्राहमण, निवासी रोझाना तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0

3. भूली बाई पुत्री खीमा उर्फ खेमराज, पत्नी शंकरलाल पटेल, जाति ब्राहमण निवासी रोझाना हाल मुकाम–बामन देवरिया पो0 तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0

4. जतन बाई पुत्री खीमा उर्फ खेमराज, पत्नी मथरा लाल, जाति ब्राहमण, निवासी रोझाना हाल मुकाम– अंगारी उमरीया तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (मृतक) जरिये कायममुकाम–

4/1 शंकरलाल माता जतन बाई पत्नी मथरालाल

4/2 पूरालाल माता जतन बाई पत्नी मथरालाल

4/3 प्रभूलाल माता जतन बाई पत्नी मथरालाल

4/4 बद्रीलाल माता जतन बाई पत्नी मथरालाल

4/5 नानूराम माता जतन बाई पत्नी मथरालाल

4/6 मोतीलाल माता जतन बाई पत्नी मथरालाल

अकवाम जाति ब्राहमण, निवासीगण –अंगारी उमरीया तह0 गंगधार जिला झालावाड़

5. मांगीलाल पुत्र शंकरलाल

6. कमला बाई पुत्री शंकरलाल

7. बिशन बाई पुत्री शंकरलाल

8. राजू बाई पुत्री शंकरलाल

9. कला बाई पुत्री शंकरलाल अकवाम जाति ब्राहमण, निवासीगण – ग्राम रोझाना तह0 गंगधार जिला झालावाड

10. भैरूलाल आत्मज चन्दन, जाति ब्राहमण, निवासी रोझाना (मृतक) जरिये कायम मुकामान–

10/1 कमला बाई बेवा भैरूलाल,

10/2 भंवर लाल आत्मज भैरूलाल,

10/3 बद्रीलाल आत्मज भैरूलाल,

अकवाम जाति ब्राह्मण निवासी रोझाना तह0 गंगधार, झालावाड़, राज0

10/4 सोहन बाई पुत्री भैरूलाल, पत्नी मांगीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी मेरूखेडी तहसील आलोट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10/5 शिवबाई पुत्री भैरूलाल, पत्नी अम्बाराम, जाति ब्राह्मण निवासी पिपल्या धूमा तह0 महिदपुर मध्यप्रदेश

10/6 कान्ताबाई पुत्री भैरूलाल, पत्नी बाबू लाल, जाति ब्राह्मण निवासी डूंगरिया तह0 महिदपुर मध्यप्रदेश

10/7 मंजू बाई पुत्री भैरूलाल, पत्नी बद्री लाल, जाति ब्राह्मण निवासी डूंगरिया तह0 महिदपुर मध्यप्रदेश

11. जगदीश पुत्र बापूलाल, जाति ब्राह्मण निवासी रोझाना तह0 गंगधार

12. कृष्णा बाई पुत्री बापूलाल, पत्नी शिवनारायण, जाति ब्राह्मण निवासी मानपुरा तह0 मेहतपुर जिला उज्जेन मध्यप्रदेश

13. सुगना बाई बेबा बापूलाल, जाति ब्राह्मण निवासी रोझाना तह0 गंगधार जिला झालावाड़ राज0

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 गंगधार जिला झालावाड़

.....रेस्पोडेन्ट्स

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सत्यनारायण सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट 1/1, 1/2, 5, 10/3, 10/6 की ओर से एवं शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 21.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के मुकदमा नम्बर–64/2015 निर्णय फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक दावा पेश कर अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवारा व खाता पृथक किये जाने एवं घोषणा की खातेदारी अधिकार बाबत पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मुताबिक जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 ग्राम रोझाना पटवार क्षेत्र व भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोझाना तहसील गंगधार जिला झालावाड की नई खतौनी सं. 347 एवं पुरानी खतौनी सं. 344 की कृषि भूमि आराजीयात ख0नं. 470 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं. 471 रकबा 1 बीघा , ख0नं. 472 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं. 814 रकबा 1 बीघा, ख0नं. 815 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं. 816 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं. 818 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं. 823 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं. 1103 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं. 1106 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं. 1108 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं. 1109 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं. 1110 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं. 1111 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं.1137 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं. 1158 रकबा 15 बिस्वा, ख0नं. 1160 रकबा 10 बिस्वा कुल ख0नं. 17 कुल क्षेत्रफल 25 बीघा 2 बिस्वा लगानी 32 रूपये 15 पैसे स्थित है। इस अराजियात को दावे में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.07.2015 के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया, तथा ग्राम रोझाना की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता सं. 347 किता 17 रकबा 25.02 बीघा भूमि का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते है। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार गंगधार से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत मंगवाकर प्राथमिक डिक्री जारी करे।

3 अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.05.2022 को इस आशय की फाईनल डिक्री जारी की गई कि तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसे मजमेआम में पढकर सुनाया गया, किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की लिहाजा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव ग्राम रोझाना के खाता सं. 379 किता 17 रकबा 6.3486 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

(पीसि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये। बहस अभिभाषकगण उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 विधि न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित मामले में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.07.2015 को पारित की गई और पटवारी हल्का द्वारा करीब 06 वर्ष बाद दिनांक 08–12–2021 को तहसीलदार सहब के आदेश की पालना में बटवांरा प्रस्ताव तैयार किया वह बंटवारे के नियमों के पूर्णतया विपरीत था। कानूनन बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को तैयार करना था ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा पूर्व से ही तैयार किया गया बंटवारा प्रस्ताव बंटवारे के नियमों के विपरीत होने से इस बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित फाईनल डिक्री अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया। बंटवारा प्रस्ताव केवल मात्र मांगीलाल पुत्र खेमराज के पुत्र राधेश्याम व रमेश के कहे अनुसार मनमाने तरीके से बनाया गया है जिसमें रोडसाईड की अच्छी जमीने इनको दी गई एवं अपीलांट को हल्की किस्म की जमीन दी गई एवं मांगीलाल पुत्र शंकरलाल को शामलाती कुआं भी अकेले को दे दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 को पारित की गई जबकि अपीलान्ट का पिता वादी कम–8 बापू लाल दिनांक 20.06.2018 को ही फौत हो चुका था एवं प्रतिवादी कम–1 मांगी लाल पुत्र खेमराज भी दिनांक 09.09.2018 को ही फौत हो चुका था, इन दोनो के कायममुकामान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियो के विरूद्ध ही फाईनल डिक्री पारित कर दी गई। फाईनल डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध कर देने से डिक्री नल एण्ड वाईड है। अपीलांट द्वारा इन दोनो के कायममुकामान को अपील में पक्षकार बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में जो बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा पेश किया गया था उक्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.12.2021 को तैयार करते वक्त पटवारी हल्का को मृतक मांगीलाल व मृतक बापू लाल की मृत्यु होने की जानकारी थी उसके बावजूद भी उसने मृत्यु के तथ्यों को उजागर न कर बंटवारा प्रस्ताव एक तरफा रूप से तैयार कर दिया गया जो कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्तनीय योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को व अन्य पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और मृतके व्यक्तियों के विरूद्ध ही फाईनल डिक्री पारित कर दी गई जो कानून निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 निरस्त फरमाई जावे एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमान्ड फरमाया जावे कि व स्वयं तहसीलदार से पक्षकारान् की मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मंगवायें एवं पक्षकारान को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत् तरीके से बंटवारे के नियम 18 से 21 को मध्य नजर रख फाईनल डिक्री पारित की जावे।

6 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.05.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

7 अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार के आदेश एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध धारा–223 आर.टी. एक्ट के तहत पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी वाके ग्राम रोझाना की जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 की खाता संख्या–347 किता 17 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा आराजी के मामले में जमाबंदी में दर्ज अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाते हुऐ प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.07.2015 को जारी की गई थी। इसके बाद दिनांक 20.06.2018 को वादी क्रम–8 बापूलाल की मृत्यु हो गई एवं दिनांक 09.09.2018 को प्रतिवादी कम–1/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मांगीलाल पुत्र खेमराज की मृत्यु हो गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके कायम मुकाम बनाये बिना ही विवादित आराजी के मामले में बंटवारे के नियम 18 से 21 के परे पटवारी हल्का, पटवार मण्डल रोझाना के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2022 को फाइनल डिक्री पारित कर दी। इसलिए अपीलान्ट द्वारा जानकारी की दिनांक 02.05.2023 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है। न्याय हित में एवं अपील की मेरिट को देखते हुऐ प्रार्थना पत्र धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार करते हुऐ अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे। विवादित आराजी के मामले में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.07.2015 को पारित की गई थी एवं पटवारी हल्का द्वारा करीब 6 वर्ष बाद दिनांक 08.12.2021 को तहसीलदार साहब के आदेश की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया जो बंटवारा के नियमों के पूर्णतया विपरीत था। कानूनन बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान को सूचना देते हुऐ स्वयं तहसीलदार को तैयार करना था। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव को कानूनन बंटवारे के नियम 18 से 21 के तहत अवैधानिक माना गया है। पटवारी हल्का के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये केवल मात्र रेस्पोडेन्ट मांगीलाल के पुत्र राधेश्याम व रमेश के कहे अनुसार मनमाने तरीके से बनाया गया है रोड़ साइड की अच्छी जमीन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इनको दी गई है एवं मांगीलाल पुत्र शंकरलाल को शामलाती कुआं भी अकेले को दे दिया गया है। जबकि मांगीलाल व रमेशचंद तो दावे में पक्षकार ही नहीं थे। इसी तरह अपीलान्ट बापूलाल मृतक का पुत्र तेजूलाल दावे में पक्षकार ही नहीं था एवं दूसरा पुत्र एवं पुत्रियां भी दावे में पक्षकार नहीं थी। कायम मुकाम बनाये बिना ही नियमों के विपरीत बंटवारा प्रस्ताव में इनका भी हिस्सा अंकित कर दिया गया जो अवैधानिक है। फाईनल डिकी दिनांक 31.05.2022 को पारित की गई है जबकि अपीलान्ट के पिता वादी क्रम–8 बापूलाल दिनांक 20.06.2018 को ही फोत हो चुका था एवं प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल पुत्र खेमराज भी दिनांक 09.09.18 को फोत हो चुका था। इनकी मृत्यु होना अपील के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। इन दोनों के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध फाइनल डिकी पारित कर दी गई। फाइनल डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध होने से नल एण्ड वॉइड है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 में यह भी अंकन किया हुआ है कि तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे मजमाएआम में पढ़कर सुनाया गया, किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। लिहाजा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्तावः स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव ग्राम रोझाना के भूमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार गंगधार से पालना रिपोर्ट मंगाई जावे। जबकि वादी बापूलाल जो अपीलान्ट का पिता या एवं प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल पुत्र खेमराज दोनों की मृत्यु तो फाईनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 के पूर्व ही हो चुकी थी ऐसी स्थिति में मृत्तक व्यक्ति को मजमाएआम में बंटवारा प्रस्ताव को सुनाने का तथ्य सर्वथा मनमाने रूप से डिक्री में अंकित किया जाना प्रतीत होता है। पक्षकारान सहमति बाबत् फाईनल डिक्री में किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर होना भी प्रतीत नहीं होता।

8 अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31.05.2022 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह दावे में वर्णित वादी क्रम–8 बापूलाल एवं प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल पुत्र खेमराज के कायम मुकामान को रेकॉर्ड पर लेकर मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.07.2015 स्वयं तहसीलदार गंगधार से बंटवारे के नियम 18 से 21 के अनुसार पक्षकारान को सूचना देते हुऐ बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये एवं अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान की आपत्तियां सुनते हुऐ विधि सम्मत् तरीके से आदेश व फाईनल डिक्री पारित करें एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की

9 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

10 हमने अभिभाषकगण अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 1/1, 1/2, 5 , 10/3 व 10/6 सुनी, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व लिखित बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । अभिभाषक अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.15 को जारी प्राथमिक डिकी के द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के आधार पर जमाबंदी में दर्ज हिस्सों के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर सहखातेदारों के मध्य वादग्रस्त आराजी बंटवारा करते हुये तहसीलदार गंगधार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। इसके बाद दिनांक 20.06.2018 को वादी कम–8 बापूलाल की मृत्यु हो गई एवं दिनांक 09.09.2018 को प्रतिवादी कम–1/ रेस्पोडेन्ट कम–1 मांगीलाल पुत्र खेमराज की मुत्यु हो गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके कायम मुकाम बनाये बिना ही विवादित आराजी का बंटवारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना पटवारी हल्का, पटवार मण्डल रोझाना के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2022 को फाईनल डिकी पारित कर दी। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु पक्षकारान को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये केवल मात्र रेस्पोडेन्ट मांगीलाल के पुत्र राधेश्याम व रमेश के कहे अनुसार मनमाने तरीके से बंटवारा प्रस्ताव बनाया गया और रोड़ साईड़ की अच्छी जमीन इनको दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिकी दिनांक 31.05.2022 को पारित की गई है जबकि अपीलांट के पिता वादी कम–8 बापूलाल दिनांक 20.06.2018 को ही फौत हो चुके है एवं प्रतिवादी कम–1 मांगीलाल पुत्र खेमराज भी दिनांक 09.09.2018 को फौत हो चुके

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

थे। इनकी मृत्यु होना अपील के साथ प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है । इन दानों के कायम मुकाम कर... रिकॉर्ड पर लिये बिना ही मृतक व्यक्तियो के विरूद्व फाईनल डिकी पारित कर दी गई। फाईनल डिकी... मृतक व्यक्तियों के विरूद्व होने से नल एण्ड वॉइड है।

11 दौराने बहस रेस्पो. कम 1/1, 1/2, 5, 10/3, व 10/6 के अभिभाषक ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई तब सभी पक्षकारान उपस्थित थे। सभी पक्षकारान की उपस्थिति में आपसी समझौते से बंटवारा हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाए।

12 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2015 को ऑर्डरशीट पर निर्णय पारित करते हुये प्राथमिक डिकी जारी की गई। दिनांक 29.07.2015 के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई ऑर्डरशीट नहीं लिखी गई। प्राथमिक डिकी जारी होने के लगभग सात साल बाद सीधे ही पटवारी द्वारा तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2022 को फाईनल डिकी जारी की गई । फाईनल डिकी जारी करने से पूर्व कोई विस्तृत निर्णय पृथक से जारी होना पत्रावली के अनुसार नहीं पाया गया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया और न ही बंटवारा प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया । बंटवारा प्रस्ताव के साथ कोई नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बापूलाल पुत्र चन्दन लाल व मांगीलाल पुत्र खेमराज के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वादी कम–8 बापूलाल की मृत्यु दिनांक 20.06.2018 व प्रतिवादी कम–1 मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 09.09.2018 को होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में वादी कम–8 व प्रतिवादी कम–1 के कायममुकाम को फाईनल डिकी जारी करने से पूर्व वैधानिक रूप से कायम मुकाम दर्ज करते हुये पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। मृतक व्यक्यिों के विरूद्व जारी की गई फाईनल डिकी विधि सम्मत नहीं होने के कारण नल एण्ड वॉइड है। इसी प्रकार दिनांक 29.09.2015 को प्राथमिक डिकी जारी करने के बाद पत्रावली पर कोई ऑर्डरशीट नहीं लिखी गई और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिकी जारी करने से पूर्व कोई विस्तृत निर्णय पारित किया गया। पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना सीधे ही पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31.05.2022 को फाईनल डिकी जारी की गई जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

13 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार द्वारा पारित फाईनल डिकी दिनांक 31.05.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी कम–8 बापूलाल पुत्र चन्दन एवं प्रतिवादी कम–1 मांगीलाल पुत्र खेमराज के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेकर मुताबिक प्राथमिक डिकी दिनांक 29.07.2015 की पालना में तहसीलदार गंगधार से राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय व फाईनल डिकी पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होवें ।

14 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा